# FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अजअदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

**गंगाराम बनाम राजस्थानसरकार**

किस्ममुकदमा—स्थगन प्रा0पत्र नम्बर——55——सन्— 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म याकार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकामजो इस हुक्म की तामीलमेंजारीहुए |
|---|---|---|
| 24.6.2025 | अधिवक्ता प्रार्थी श्री सतीश कुमार पारीक उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने स्थगन प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 61 वाके ग्राम भेडोली तहसील दौसा में स्थित था जिसका कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा है। इसके संबंध में दिनांक 20.12.1985 की पासबुक व नक्शा ट्रैस की फोटो प्रति संलग्न है। एकीकरण के पश्चात भी पास बुक में भी खसरा नंबर 61 की कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा है। परन्तु वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में 2.39है. भूमि ही दर्शित हो रही है जिसके संबंध में न्यायालय उप जिला कलक्टर सैंथल में वाद सं0 134/2022 उनवानी गंगासहाय बनाम गोपाल करीब 22 वर्षों से विचाराधीन है। प्रार्थी ने दुरूस्ती का दावा कर रखा है। यदि प्रार्थी के पूर्व रिकार्ड के अनुसार जमीन दुरूस्त तरमीम की जावे तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है जिस पर फसल काश्त करता चला आ रहा है। यदि प्रार्थी की जमीन का बिना रिकार्ड दुरूस्त किये जबरन बेदखल किया जायेगा तो वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की जमीन का रिकार्ड दुरूस्त किये बिना व सीमाज्ञान किये बिना जबरन वर्षों पुराना कब्जा नहीं हटाया जावे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुण्डल के आदेश दिनांक 2.6.2025 की आड में प्रार्थी अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर से अप्रार्थी व उनके कर्मचारी बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित नहीं किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी तथा अपीलांट को बेदखल कर देंगे और अपीलांट न्याय प्राप्ति से वंचित हो जायेगा। अतः स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.6.2025 जो प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गंगाराम मु0नं0 8/2025 की क्रियान्विति को स्थगित फरमाई जावे व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावें।<br>अधिवक्ता प्रार्थीगण की स्थगन प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का मुख्य कथन है कि सैटलमेंट विभाग द्वारा नक्शे में हेराफेरी करके अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता दर्शा दिया गया है जबकि सैटलमेंट से पूर्व चले आ रहे रास्ते की सही तरमीम नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा उपखंड मजिस्ट सैंथल के समक्ष एक वाद उनवानी गंगासहाय बनाम गोपाल विचाराधीन होने का कथन किया गया परन्तु उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनके कथन को बल मिलता हो। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के विपक्ष में तय की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर होकर मूल अपील के संलग्न रहे।<br><br>जिला कलक्टर<br>दौसा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:25 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official